

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-03/2021-1253

पटना, दिनांक- 12 फरवरी, 2022

कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2022 से 13.02.2022 तक विभिन्न चरणों में निरोधात्मक दिशा-निर्देश लागू किए गए।

दिनांक 12.02.2022 को आपदा प्रबन्धन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में व्यापक स्तर पर कमी आयी है। ऐसी स्थिति में प्रतिबन्धों के दौर से बाहर आने की आवश्यकता है, ताकि आम जनजीवन को कोरोना-पूर्व काल के स्तर पर लाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

अतः दिनांक 14.02.2022 से अगले आदेश तक निम्न प्रावधानों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक- 27 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित कोविड अनुकूल व्यवहार सम्बन्धी National Directives For COVID 19 Management (संलग्न) के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया :-

1. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा।

न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

2. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे।

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा:-

- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
- सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।

उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3. सभी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, उनके कार्यालय एवं छात्रावास शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी। परीक्षाएँ सामान्य रूप से कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ ली जा सकेगी।

4. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
5. सभी सिनेमा हॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सम्बन्धित सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
6. सभी पार्क एवं उद्यान कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।
7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोली जा सकेंगी। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों।
8. क्लब, जिम, स्टेडियम (इंडोर सहित), स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्विमिंग पूल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
9. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
10. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/ मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या एवं अन्य शर्तों के निर्धारण का अधिकार होगा।
11. विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार/दफन/श्राद्ध कार्यक्रम कोविड अनुकूल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सामान्य रूप से आयोजित किए जा सकेंगे।
12. सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति होगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में overcrowding नहीं हो। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।

उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

ह0/-

(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-03/2021-1253

पटना, दिनांक-12 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि:- सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Indira
(विकास वैभव)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-03/2021-1253

पटना, दिनांक-12 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Indira
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-03/2021-1253

पटना, दिनांक-12 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि:- गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Indira
सरकार के विशेष सचिव।